न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 164/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन बहरोड जिला अलवर (मृतक)

1/1. बिजेन्द्र कुमार

1/2. महेश कुमार

1/3. मुकेश

1/4. मनोज कुमार पुत्रान जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बहरोड जिला अलवर

1/5. राजरानी धर्मपत्नि स्व0 जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बहरोड जिला अलवर

:------ अपीलांटस

बनाम

4 प्रेमचन्द पुत्र स्व. बनवारी लाल जाति महाजन निवासी बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:----- वादी/रेस्पो0

5 मुरारीलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन बहरोड (मृतक)

2/1 पुष्कर पुत्र मुरारीलाल

6 लालचन्द वारिस काबिज जायदाद स्व0 रामजीलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन निवासी ग्राम बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर (मृतक)

3/1 महेन्द्र

3/2 सुन्दरलाल

3/3 नरेन्द्र

3/4 सुरेश पुत्रान लालचन्द जाति महाजन निवासी बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर

3/5 सन्तो पुत्री लालचन्द पत्नि जयप्रकाश निवासी रणजीत नगर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गाय छाप मसाला वाला, करोल बाग के पास, दिल्ली --11

3/6 तुलसी पुत्री लालचन्द केयर ऑफ मदनलाल सियसाराम गोयल अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

3/7 उषा पुत्री लालचन्द केयर ऑफ विनोद कुमार मनीष कुमार पुरानी अनाज मण्डी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर

3/8 संतोष पुत्री लालचन्द केयर ऑफ ओमप्रकाश राकेश कुमार, बस स्टेण्ड के सामने, किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

4. मोतीलाल पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

5. महावीरप्रसाद पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

7. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

8. तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

9. नन्दलाल पुत्र मुरारीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर

:-----(मृतक)

9/1 धर्मपाल गुप्ता

9/2 हरीश गुप्ता पुत्रान स्व0 नन्दलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

9/3 शशि गुप्ता पुत्री स्व0 नन्दलाल पत्नि राकेश गुप्ता जाति महाजन निवासी हाल कैलाश नगर, गांधीनरगर, नई दिल्ली

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 5.1.1991

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सर्व श्री रामेश्वर दयाल, विक्रम सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री शैलेन्द्र भार्गव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर्चा डिक्री

दिनांक 02.03.2021

अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 05.01.1991 आराजी ख0 नं0 हाल 762, 769 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 769 रकबा 64 एयर सालिम वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन पर से रेस्पो0 सं0 1 एवं 5 तथा हाल ख0 नं0 762 रकबा 56 एयर में से 0.1425 एयर वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन पर से रेस्पो0 सं0 4 ला0 6 के नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अंकन किया जावे। हुकम इम्तनाई दवामी इस आशय की जारी की जाती है कि अपीलांट की उपरोक्त आराजी में रेस्पो0 किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन

राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 164/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन बहरोड जिला अलवर (मृतक)

1/1. बिजेन्द्र कुमार

1/2. महेश कुमार

1/3. मुकेश

1/4. मनोज कुमार पुत्रान जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बहरोड जिला अलवर

1/5. राजरानी धर्मपत्नि स्व0 जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बहरोड जिला अलवर

:------ अपीलांटस

बनाम

1 प्रेमचन्द पुत्र स्व. बनवारी लाल जाति महाजन निवासी बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:----- वादी/रेस्पो0

2 मुरारीलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन बहरोड (मृतक)

2/1 पुष्कर पुत्र मुरारीलाल

3 लालचन्द वारिस काबिज जायदाद स्व0 रामजीलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल महाजन निवासी ग्राम बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर (मृतक)

3/1 महेन्द्र

3/2 सुन्दरलाल

3/3 नरेन्द्र

3/4 सुरेश पुत्रान लालचन्द जाति महाजन निवासी बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर

3/5 सन्तो पुत्री लालचन्द पत्नि जयप्रकाश निवासी रणजीत नगर, गाय छाप मसाला वाला, करोल बाग के पास, दिल्ली --11

3/6 तुलसी पुत्री लालचन्द केयर ऑफ मदनलाल सियसाराम गोयल

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

3/7 उषा पुत्री लालचन्द केयर ऑफ विनोद कुमार मनीष कुमार पुरानी अनाज मण्डी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर

3/8 संतोष पुत्री लालचन्द केयर ऑफ ओमप्रकाश राकेश कुमार, बस स्टेण्ड के सामने, किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

4. मोतीलाल पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

5. महावीरप्रसाद पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 बनवारीलाल महाजन बहरोड

7. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

8. तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

9. नन्दलाल पुत्र मुरारीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर

:-----(मृतक)

9/1 धर्मपाल गुप्ता

9/2 हरीश गुप्ता पुत्रान स्व0 नन्दलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

9/3 शशि गुप्ता पुत्री स्व0 नन्दलाल पत्नि राकेश गुप्ता जाति महाजन निवासी हाल कैलाश नगर, गांधीनरगर, नई दिल्ली

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 5.1.1991

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सर्व श्री रामेश्वर दयाल, विक्रम सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री शैलेन्द्र भार्गव

निर्णय दिनांक 02.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 292/87 में पारित निर्णय दिनांक 5.1.1991 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इस्तकरारहक वो हुकम इम्तनाई दवामी डिकी किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में एक वाद बाबत इस्तकरार हक एवं हुकमइम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नं0 753 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 756 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 761 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 762 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 766 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, 796 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 797 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 07 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगा बिशन Evacue Agricultural Land थी, जिसे राज0 सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा Displaced Persons Compensation and rehabilitation Act of 1954 के अन्तर्गत बनाये गये Compensation Pool में एक मुश्त रूपया देकर अपने अधिकार प्राप्त कर इसके Allotment का नियम Permanent Allotment of evacue agricultural Land 1963 बनाये और इस तरह की भूमि के अधिकार तहसीलदार को दिये गये। इस तरह के नियम लागू होने के दिन एवं इससे पूर्व उक्त विवादित भूमि पर बहैसियत अलोटी स्व0 बनवारी लाल काबिज काश्त थे। स्व0 पन्ना लाल के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत ने गलत तौर पर बनवारी लाल रंजिश रखते हुए पन्ना लाल की विरासत प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 तथा स्व0 रामजीलाल के नाम दर्ज कर दी। जबकि पन्ना लाल का भूमि में कोई हक नहीं था। प्रतिवादी नं0 01 जगदीश प्रसाद, जिसको स्व0 पन्ना लाल ने मु0 गिन्दोडी बेवा श्योप्रसाद को गोद दे दिया, परन्तु फिर भी जगदीश प्रसाद का नाम भी इन्तकाल में दर्ज कर दिया। दीगर प्रतिवादीगण का बनवारी लाल से कोई संबंध नही था। इसलिये प्रतिवादीगण का आराजी में कोई हक नहीं है। इन्तकाल नं0 55 फैसला 15.06.1971 impugned इन्तकाल जमाबन्दी सम्वत 2027-31-35 तथा बन्दोबस्त हाल सम्वत 2042 में खिलाफ कानून व मौका प्रतिवादीगण के नाम का अंकन कर दिया, जबकि वादी के पिता बनवारी लाल के नाम का अंकन होना चाहिये। स्व0 बनवारी लाल एवं वादी ने तहसीलदार को विवादित आराजी का मूल्य लेकर अपने पक्ष में Permanent Allott करने का निवेदन किया तो तहसीलदार बहरोड ने हर बार मना कर दिया तथा प्रतिवादी नं0 1,2,3 से साजबाज होकर उनसे किमत जमा कराने का नोटिस दे दिया जो गलत है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादी जगदीश ने पेश की है।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि ख नं0 769 रकबा 64 एयर, 762 रकबा 56 एयर पर प्रतिवादी जगदीया का कब्जा शुरू से चला आ रहा था और अब उसके वारिसान का कब्जा है। तहत अदालत में वादी ने गलत दावा पेश किया। मृतक बनवारी की पुत्रियों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया। पन्नालाल व बनवारी की सभी बहनों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

को पक्षकार नहीं बनाया है। पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। तथाकथित राजीनामा के आधार पर गलत तौर पर डिक्री पारित की है। विवादित भूमि खसरा नं0 769 एवं 762 पर अपीलांट का कब्जा काश्त शुरू से ही चला आ रहा है। वादी ने इन नम्बरों की गलत तौर पर डिक्री प्राप्त की है। विवादित आराजीयात किता–6 में बनवारी लाल वगै0 1/2, लालचन्द पुत्र बनवारी 1/4, जगदीश पुत्र पन्ना गैर खातेदार तथा ख नं0 769 रकबा 64 एयर बनवारी लाल वगैरा उपरोक्त 216/1 बाकी बदस्तूर खातेदार का अंकन है। वादी ने गलत तौर पर इनकी डिक्री प्राप्त की है। राजीनामा तस्दीक नहीं था, फिर भी इसके आधार पर डिक्री पारित कर दी। वादी रेस्पो0 ख नं0 762 एवं 769 का आवासीय पट्टा लेने पर उतारू है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में WLC राजस्थान 2004 (2) पेज 622, RBJ (13) 2006 पेज 405 का हवाला दिया।

4 विद्वान वकील रेस्पों0 ने तर्क दिये कि यह अपील मियाद बाहर है। देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अतः मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है। इस भूमि पर सदैव से ही बनवारी लाल का कब्जा काश्त रहा है। पन्ना लाल की विरासत गलत तौर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जगदीश को पन्ना लाल ने गोद दे दिया। ऐसी स्थिति में पन्ना लाल की विरासत इनके नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी गई। जिसको दुरूस्त कराने का मैंने दावा किया। अपीलाधीन डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित की गई है। जिसकी अपील नहीं की जा सकती अपील सारहीन है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2013 आर0आर0डी0 पेज 788, 2003(1)डी0एन0जे0 राज0 पेज 141, 2015(2)आर0एल0डब्ल्यू पेज 1438, 2006 आर0आर0डी0 पेज 713, 2002 एस0सी0 केसेज पेज 475, 2016(1) आर0आर0टी0 पेज 333, 2016(2) आर0आर0टी0 पेज 1423, 2016(2) आर0आर0टी0 पेज 1200, 2015(1) आर0आर0टी0 पेज 232, 2000 आर0आर0टी पेज 557, 2003 आर0आर0डी0 पेज 190, 2002 आर0आर0डी0 पेज 632, 2002 आर0आर0डी0 पेज 26, 2015(4) डी0एन0जे0 पेज 1724, 2013(4) डी0एन0जे0 राज0 पेज 826, 2013(3) डी0 एन0जे0 पेज 1321, 2017(2) आर0आर0टी0 पेज 1463, 2017(2) आर0आर0टी0 पेज 1047, 2008 आर0आर0डी0 पेज 862, 2017(1)आर0आर0टी0 650, 2018(2) आर0आर0टी0 पेज 1341 का हवाला दिया

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि समझौते के आधार पर पारित डिक्री पर आक्षेप या तो नियम के अन्तर्गत या फिर अपील के माध्यम से उठाया जा सकता है, जैसा कि डब्ल्यू0एल0सी0 केसेज राज0 2004(2)पेज 622 में अभिनिर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिये कि मियाद को कन्डोन कर एक ओर अवसर दिया जाना चाहिये,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018(1) आर0आर0टी0 801 में प्रतिपादित किया है। 2019(3) आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 2166 राज0 में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि यदि मामले में सार हो तो अपील को खारिज नहीं करना चाहिये तथा विलम्ब को माफ करना चाहिये। आर0आर0टी0 2018(1) पेज 186 में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि Delay is not Fatal when the mutation is illegal अविधिक निर्णय को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, उसकी कोई मियाद नहीं है, जैसा कि आर0आर0टी0 2018–19 पेज 145 में प्रतिपादित किया है। इसके अलावा विद्वान अपीलांट ने मियाद बिन्दू पर 2013 आर0आर0डी0 पेज 50, 2006 आर0आर0डी0 पेज 457, 2006 आर0आर0डी0 805, 2005 आर0आर0डी0 399, 2005 आर0आर0डी0 587, 2004 आर0आर0डी0 167, 2013(1) आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 268 का हवाला दिया।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.01.1991 को पारित किया गया था, जिसकी यह अपील दिनांक 03.11.2014 को पेश की गई है। देरी के संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने विभिन्न नजीरें पेश कर निवेदन किया है कि गुणावगुण के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए देरी को कन्डोन किया जाना चाहिये, विधि विरूद्ध पारित किये गये निर्णय की कोई मियाद नहीं होती है। इसके विपरित विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि देरी को तभी माफ किया जा सकता है, जबकि देरी के संतोषजनक कारण बताये जायें। ये तहत अदालत में उपस्थित थे। राजीनामा पेश हुआ है। इनको अपीलाधीन निर्णय की शुरू से ही जानकारी थी। इसके बावजूद इन्होंने करीब 22–23 साल की देरी से अपील पेश की है। मियाद बिन्दू के संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने भी अनेक नजीरें पेश की। दोनों पक्षों के वकीलों की मियाद बिन्दू पर दी गई दलीलों पर मनन करने एवं उनके द्वारा पेश नजीरों का अध्ययन करने साथ ही पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय हाजा का विनम्र मत है कि चूंकि प्रकरण काफी पुराना है तथा गुणावगुण का बिन्दू अहम है। अतः विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई नजीरों के परिप्रेक्ष्य में देरी को माफ किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया। इसके संबंध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार बहरोड ने बनवारी, मुरारीलाल पि0 पन्ना लाल 1/2, लालचन्द पुत्र बनवारी लाल 1/4, जगदीश प्रसाद पुत्र पन्नालाल को नोटिस क्रमांक/T.RA/कस्टो0/87–88/197–98 दिनांक 04.06.1987 को जारी किया है कि आपने कस्टोडियन भूमि रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा पर अतिक्रमण कर रखा है। आप इसकी कीमत व ब्याज जमा कराये अन्यथा आपको बेदखल कर दिया जायेगा। इस नोटिस में भूमि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। इस नोटिस का जवाब वादी प्रेमचन्द पुत्र बनवारी लाल ने तहसीलदार को पेश कर निवेदन किया था कि आराजी की कीमत व ब्याज से अवगत करावें। साथ ही इसकी किस्त बनाकर बताने का कष्ट करें ताकि जमा कराई जा सके। ख0 नं0 762, 840, 841, 842, 843, 858, 859, 857 सम्वत 2042-61 में भूमि का वर्गीकरण किया गया है तथा लाल स्याही से लगान की दर का नोट अंकित है। और खाता सं0 128 पर बनवारी, मुरारी पि0 पन्ना लाल 1/2, लालचन्द पुत्र बनवारी 1/4, जगदीश पुत्र पन्ना 1/4 जाति महाजन 2 बीघा 11 बिस्वा, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, पप्पू पि0 जयसिंह 1/2, विजय सिंह पुत्र मनपाल सिंह 1/2 जाति अहीर 5 बिस्वा खातेदार का अंकन है और खाता संख्या 368 पर बनवारी लाल, मुरारी लाल पि0 पन्ना लाल 1/2, लालचन्द पुत्र बनवारी लाल 1/4, जगदीश पुत्र पन्ना 1/4 जाति महाजन साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2035 में भू धारक के कॉलम में कस्टोडियन का अंकन है तथा काश्तकार के कॉलम में बनवारी लाल, मुरारी लाल पिसरान पन्ना लाल समभाग 1/2, लालचन्द पुत्र बनवारी लाल 1/4, जगदीश पुत्र पन्ना लाल 1/4 कौम महाजन साकिन देह गैर खातेदार का अंकन नं0 753, 756, 761, 762, 763, 796, 797, किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा पर किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2031 में उपरोक्त खसरा नम्बरों पर बनवारी लाल, मुरारी लाल, रामजीलाल, जगदीश प्रसाद पुत्रान पन्ना लाल समभाग महाजन साकिन देह गैर खातेदार का अंकन है तथा भू धारक के कॉलम में कस्टोडियन सरकार का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2027 में भी उपरोक्तानुसार का अंकन है। यह अंकन विरासत इंतकाल 55 के आधार पर दर्ज होना पाया जाता है। इन्तकाल नं0 55, जो दिनांक 15.06.1971 को स्वीकार हुआ है, के आधार पर पन्ना लाल पुत्र हरबक्स की विरासत उसके पुत्रों बनवारी लाल, मुरारी लाल, रामजीलाल, जगदीश के नाम समभाग में दर्ज हुई है। तहसीलदार, बहरोड ने एक पत्र उपजिलाधीश बहरोड को इस आशय का लिखा था कि आराजी हाल खसरा नं0 857 रकबा 27 एयर तथा 856 रकबा 26 एयर बैक कर्ज के कारण नीलाम की जा चुकी है। शेष राशि का भुगतान पक्षकार को किये जाने के आदेश तहसीलदार ने उपजिलाधीश बहरोड से मांगे है।

8 अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी 2045 में हाल खसरा नम्बरों 762, 840, 841, 842, 843, 858, 859, 857 पर बनवारी, मुरारी लाल को 1/2 भाग, लालचन्द को 1/4 भाग एवं जगदीश को 1/4 भाग का गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री दिनांक 05.01.1991 की इजराय इन्तकाल नम्बर 153 स्वीकार हुआ है, जिसके अनुसार आराजी हाल ख0 नं0 762, 840, 841, 842, 843, 859 पर प्रेमचन्द पुत्र बनवारी 2/5 हि0, मोतीलाल, महावीर प्रसाद व राजेन्द्र प्रसाद पि0 बनवारी लाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3/5 साकिन देह गैर खातेदार (कस्टोडियन आवंटी) तथा ख0 नं0 बनवारी लाल वगै0 उपरोक्त 211/1 बाकी इन्द्राज बदस्तूर साकिन देह खातेदार का अंकन है।

9 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि में अपीलांट का 1/4 भाग निहित था। जिस पर तथाकथित राजीनामा के आधार पर असल रेस्पो0 ने गलत तौर पर डिक्री प्राप्त कर ली। विवादित भूमि में से कुछ भूमि बेच दी गई है तथा कुछ भूमि यू0आई0टी0 भिवाडी में चली गई है। शेष ख0 नं0 769 रकबा 61 एयर सालिम तथा ख0 नं0 762 रकबा 56 एयर में से 0.1425 एयर पर अपीलांट अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

10 अतः आदेश है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 05.01.1991 आराजी ख0 नं0 हाल 762, 769 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 769 रकबा 64 एयर सालिम वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन पर से रेस्पो0 सं0 1 एवं 5 तथा हाल ख0 नं0 762 रकबा 56 एयर में से 0.1425 एयर वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन पर से रेस्पो0 सं0 4 ला0 6 के नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अंकन किया जावे। हुकम इम्तनाई दवामी इस आशय की जारी की जाती है कि अपीलांट की उपरोक्त आराजी में रेस्पो0 किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे। इस बाबत तहसीलदार बहरोड़ को पालनार्थ तहरीर जारी हो ।

11 निर्णय खुले में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन

राजस्व अपील अधिकारी अलवर